गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से **A** ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय)

प्रबन्ध मण्डल की बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 01.06.2019
समय : प्रातः 10:00 बजे
स्थान : ए आई यू हाउस, 16 कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110002

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 विनोद कुमार, कुलपति–अध्यक्ष
2. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार, भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के नामित सदस्य
3. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
4. प्रो0 सन्तराम वैश्य, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
5. प्रो0 ईश्वर भारद्वाज, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
6. प्रो0 आर0सी0 दूबे, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
7. डॉ0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
8. डॉ0 सुनील पंवार, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
9. प्रो0 दिनेश चन्द्र भटट्, कुलसचिव/संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक प्रारम्भ हुयी ।

प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय में दिनांक 16.02.2019 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही के अंकन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 16.02.2019 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक आहूत की गयी । वित्त समिति की उक्त बैठक के कुछ बिन्दुओं पर प्रबन्ध–मण्डल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :–

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 09 में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि विश्वविद्यालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में स्ववित्त पोषित विभागों की वित्तीय स्थिति ठीक रहे अन्यथा विभागों में स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय की **Liability** बन सकते हैं। इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि स्ववित्त पोषित संकायों एवं विभागों को एक समिति द्वारा ठीक प्रकार से संचालित किया जाये ।

2. वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 11 में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में एक्सटेंशन काऊन्टर खोलने पर सम्बन्धित बैंक से किराया भी लिया जाना चाहिए।

प्रस्ताव संख्या 02 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 09.07.2018, 30.10.2018 एवं 13.03.2019 में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 09.07.2018, 30.10.2018 (प्रस्ताव संख्या–10 को छोड़कर–पत्रावलियों के रख–रखाव के सम्बन्ध में) एवं 13.03.2019 (अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या–02 को छोड़कर–विश्वविद्यालय के Vision Docoments के

सम्बन्ध में) के सभी पारित प्रस्तावों के अनुसार क्रियान्यवन की कार्यवाही स्वीकृत की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 03 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में पूर्व में नामित सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्यों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में पूर्व में वरिष्ठ प्रोफेसर के रुप में नामित सदस्य डॉ0 मुकेश रंजन वर्मा एवं वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में नामित सदस्या डॉ0 हेमन पाठक का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उपरोक्त सदस्यों के स्थान पर मान्य कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के MOA के बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर निम्न नये सदस्यों को प्रबन्ध–मण्डल हेतु नामित किया गया है ।

1. प्रो0 सन्तराम वैश्य, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग को वरिष्ठ प्रोफेसर के रुप में दिनांक 15.03.2019 से 14.03.2021 तक (दो वर्ष) अथवा सम्बन्धित प्रोफेसर के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) सदस्य नामित किया गया है ।

2. डॉ0 सुनील पंवार, एसोसिएट प्रोफेसर, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में दिनांक 15.03.2019 से 14.03.2021 तक (दो वर्ष) अथवा सम्बन्धित एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) सदस्य नामित किया गया है ।

प्रस्ताव का अंकन कर प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा नये सदस्यों का स्वागत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 04 विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत डॉ0 बबलू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के कार्यभार ग्रहण तिथि के संशोधन के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 के प्रस्ताव संख्या–05 के अनुसार विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव सम्पुष्ट किया गया था । उक्त प्रस्ताव के क्रम संख्या 02 पर अंकित शिक्षक डॉ0 बबलू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, दर्शन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 02.11.2018, (पूर्वाह्न) के स्थान पर त्रुटिवश 01.11.2018, (अपराह्न) अंकित हो गयी थी । अतः डॉ0 बबलू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के कार्यभार ग्रहण तिथि 01.11.2018, (अपराह्न) के स्थान पर 02.11.2018, (पूर्वाह्न) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

बैठक में प्रस्ताव के अनुसार डॉ0 बबलू के कार्यभार ग्रहण तिथि 01.11.2018, (अपराह्न) के स्थान पर 02.11.2018, (पूर्वाह्न) स्वीकृत की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 05 विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति के निजि सचिव पद पर कार्यरत श्री शशिकान्त की अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) में प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति होने के कारण अवैतनिक अवकाश एवं लियन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति के निजि सचिव पद पर कार्यरत श्री शशिकान्त की अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) में प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त होने के कारण नियमानुसार इन्हें दिनांक 11.05.2016 से 10.05.2017 (एक वर्ष) तक, पुनः दिनांक 11.05.2017 से 10.05.2019 (दो वर्ष) तक अवैतनिक अवकाश लियन सहित की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 04.07.2017 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 07 में स्वीकृत किया गया था । अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के उपनिदेशक द्वारा दिनांक 09.05.2019 को प्रेषित पत्र में श्री शशिकान्त की प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष अर्थात् दिनांक 11.05.2019 से 10.05.2020 तक बढ़ाये जाने के लिये सहमति दिये जाने का अनुरोध किया है ।

उक्त के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि नियमानुसार प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम 05 वर्ष का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । अतः उपरोक्त के आलोक में मान्य कुलपति जी द्वारा प्रबन्ध–मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री शशिकान्त की प्रतिनियुक्ति की अवधि को अग्रिम एक वर्ष अर्थात् दिनांक 11.05.2019 से 10.05.2020 तक स्वीकृत किया गया है ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि विश्वविद्यालय में पदों की कमी होने के कारण भविष्य में प्रतिनियुक्ति/असधारण आधार पर (अवैतनिक अवकाश एवं लियन) शिक्षक/कर्मचारियों को अवकाश विश्वविद्यालय के हित को सर्वोपरी रखते हुए सोच समझ कर ही स्वीकृत किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल की प्रत्याशा में कोई भी कार्य स्वीकार्य नही किया जाना चाहिए यदि कोई बहुत आकस्मिक कार्य की स्वीकृति दी जानी है तो उसकी स्वीकृति सरकूलेशन के आधार पर ली जानी चाहिए। तत्पश्चात् प्रबन्ध–मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । इस सम्बन्ध में प्रो0 आर0सी0 दूबे ने कहा कि श्री शशिकान्त को वापस अपने मूलपद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कुछ समय दिया जाना चाहिए । अतः निर्णय हुआ कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए श्री शशिकान्त को 03 माह (दिनांक 11.05.2019 से 10.08.2019 तक) का समय देकर विश्वविद्यालय में अपने मूलपद (निजी सचिव–कुलपति) पर वापस कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जाये ।

बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव उपरोक्तानुसार स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 06

विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत वेद विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त डॉ0 दीनदयाल की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में प्रस्ताव ।

मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में वाद संख्या 586 of 2018 में दिनांक 08.03.2019 को हुए निर्णय के अनुसार "विश्वविद्यालय द्वारा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वेद) हेतु पुनः नियुक्ति के लिये पूर्व में आवेदित किये गये अभ्यर्थियों की पुनः स्क्रीनिंग कर तैयार की गयी सूची से पुनः साक्षात्कार कराया जाये।"

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त पद हेतु दिनांक 03.11.2017 को हुए चयन समिति की बैठक की संस्तुति के अनुसार डॉ0 दीनदयाल पुत्र श्री जी0 कृष्णा को नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी थी । तद्नुसार डॉ0 दीनदयाल द्वारा दिनांक 02.11.2018 की पूर्वाह्न को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था । चूंकि मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 08.03.2019 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वेद) हेतु पुनः नियुक्ति के लिये पूर्व में आवेदित किये गये अभ्यर्थियों की पुनः स्क्रीनिंग कर तैयार की गयी सूची से पुनः साक्षात्कार कराये जाने का आदेश पारित किया है, अतः उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या Estt./1484–1497 दिनांकित 15.04.2019 के अनुसार डॉ0 दीनदयाल की सेवाऐं इस विश्वविद्यालय से समाप्त कर दी गयी थी ।

उक्त निर्णय के विरुद्व डॉ0 दीनदयाल द्वारा मान्य उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में डायरी नं0–15494–2019 के अन्तर्गत दायर किये गये वाद में मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश को Set-aside करते हुए मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को निर्देशित किया है कि डॉ0 दीनदयाल द्वारा वाद संख्या 586 of 2018 में पुनः विचार हेतु दायर किये गये प्रार्थना पर निर्णय लेकर निस्तारित किया जाये । डॉ0 दीनदयाल ने इस सम्बन्ध में दिनांक 24.05.2019 को प्रेषित पत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाओं को पुनःस्थापित किये जाने का अनुरोध किया है ।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा इनकी सेवाओं को इस आशय के साथ पुनःस्थापित किया गया है कि यदि भविष्य में मान्य उच्चतम न्यायालय/उच्च

न्यायालय द्वारा इनकी सेवाओं के सम्बन्ध में कोई भी आदेश/निर्णय आता है तो वह विश्वविद्यालय एवं डॉ0 दीनदयाल को मान्य होगा ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी ने अवगत कराया कि मान्य उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय को कोई भी आदेश निर्गत नही किया गया है, केवल मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल को डॉ0 दीनदयाल के पुनः याचिका पर निर्णय लिये जाने हेतु आदेशित किया है । अतः प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल से जो भी आदेश पारित होगा वह डॉ0 दीनदयाल एवं विश्वविद्यालय को मान्य होगा ।

बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव उपरोक्तानुसार स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 07 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध–मण्डल द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के MOA के नियम संख्या–16 के अनुसार वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध–मण्डल द्वारा 02 सदस्य नामित किये जाते हैं । जिसमें से 01 प्रबन्ध–मण्डल का सदस्य होना आवश्यक है । पूर्व में नामित सदस्यों में से श्री रतन के. बजाज का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध–मण्डल द्वारा 01 सदस्य को आगामी 03 वर्ष हेतु नामित किये जाने के सम्बन्ध में "प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 में प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । उक्त प्रस्ताव पर बैठक में निर्णय लिया गया कि इस विषय पर सम्यक विचार कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में नाम प्रस्तुत किया जायेगा ।"

अतः उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय के वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध–मण्डल द्वारा 01 सदस्य को आगामी 03 वर्ष हेतु नामित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने विश्वविद्यालय की वित्त समिति में श्री कीर्ती शर्मा, 65/21, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005 (मोब0 नं0– 9871277922) के नाम का प्रस्ताव रखा । सदन द्वारा सर्वसम्मति से श्री कीर्ती शर्मा को विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रुप में आगामी 03 वर्ष हेतु नामित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 08 विश्वविद्यालय में स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वित्तीय उन्ययन हेतु बैंचमार्क के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या F-35034/3/2015-Estt. (D) दिनांक 27 सितम्बर 2016 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार एम0ए0सी0पी0 हेतु ए0पी0आर0/ए0सी0आर0 में बैंचमार्क 'अच्छा' से 'बहुत अच्छा' किया किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 13.03.2019 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या 13 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि मान्य कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन कर उपरोक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं संस्तुति को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । उक्त के सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी द्वारा प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ।

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों के अनुसार स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने हेतु सत्र 2017–18 तक एम0ए0सी0पी0 हेतु पात्र कर्मचारियों की बैंचमार्क की प्रकिया पूर्व के अनुसार ही जारी रखी जाये । एम0ए0सी0पी0 हेतु बैंचमार्क के लिये भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या F-35034/3/2015-Estt. (D) दिनांक 27 सितम्बर 2016 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार एम0ए0सी0पी0 हेतु बैंचमार्क की कार्यवाही सत्र 2018–19 से लागू की जाये ।

उक्त प्रस्ताव पर गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त सदन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के दिनांक 13.03.2019 के पत्र संख्या **7-8/2016&PCC (Pt.)** के आलोक में 25/07/2016 से पूर्व के सभी कर्मचारियों के गोपनीय वार्षिक आंकलन को एक श्रेणी उच्च करते हुए निम्न प्रकार से अंक प्रदान किये जाये।

दी गयी आकलन ग्रेडिंग	एक श्रेणी उच्च करने पर आकलन ग्रेडिंग	अंक
विशिष्ट	विशिष्ट (इससे ऊपर श्रेणी परिभाषित नहीं है)	9
बहुत अच्छा	विशिष्ट	9
अच्छा	बहुत अच्छा	7
सन्तोषजनक	अच्छा	5
असन्तोषजनक	सन्तोषजनक	3

2. सभी कर्मचारियों के 25/07/2016 से बाद के गोपनीय वार्षिक आकलन को बिना उच्च किये उपरोक्तानुसार अंक प्रदान किये जायें।

3. प्रत्येक कर्मचारी का उपरोक्तानुसार प्रदत्त अंकों का पांच वर्षों का योग कर औसत निकाल लिया जाये तथा औसत के आधार पर गणना निम्नानुसार की जाये (**Table Page 53, Nabhi's Handbook on Confidential Reports (Annual Performance Assessment Reports) of Govt. Employees**)

Grade Obtained	**Grading**	**Score to be considered**
Between 8 and 10	विशिष्ट	**9**
Between 6 and 8	बहुत अच्छा	**7**
Between 4 and 6	अच्छा	**5**
Below 4	------	**0**

4. एम.ए.सी.पी. दिये जाने हेतु भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 27/28.11.2016 के पत्रांक संख्या **35034/3/2015-Estt.(D)** के अनुसार आगामी सत्र में उन्हीं कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0 प्रदान की जायेगी जिनकी ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" या इसके ऊपर हो।

5. उक्त प्रक्रिया एम0ए0सी0पी0 हेतु आगामी वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 तक भी लागू की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या 09 विश्वविद्यालय में शिक्षकों के CAS प्रौन्नति हेतु यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2016 एवं 2018 के अनुसार तैयार किये गये प्रपत्र (Performa) के सम्बन्ध में ।

यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2016 एवं 2018 के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिये CAS प्रौन्नति दिये जाने हेतु प्रपत्र (Performa) तैयार किये जाने हेतु प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा उक्त यू0जी0सी0 रेगुलेशन के अनुसार शिक्षकों के लिये CAS प्रौन्नति हेतु प्रपत्र (Performa) तैयार किये गये हैं । तैयार किये गये प्रपत्रों को विश्वविद्यालय की वैवसाईट पर अपलोड किया जाना है, जिससे कि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित शिक्षक CAS प्रौन्नति हेतु अपना आवेदन कर सकें ।

बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के **CAS** प्रौन्नति हेतु यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2016 एवं 2018 के अनुसार तैयार किये गये प्रपत्र **(Performa)** को एवं यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 10 विश्वविद्यालय में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉ0 राकेश गिरी, सूचना वैज्ञानिक डॉ0 अनिल कुमार धीमान तथा अनुसंधान कम सांख्यिकी अधिकारी डॉ0 सचिन पाठक को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध–मण्डल की बैठक दिनांक 17.05.2015 के प्रस्ताव संख्या–11 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि यदि किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी द्वारा मान्य न्यायालय में वाद दायर किया गया है तथा वाद सम्बन्धित विषयक है तो मान्य न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही सम्बन्धित लाभ प्रदान किया जायेगा ।

उक्त शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में वाद दायर किया गया था । अतः इन्हें विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भाति सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया था । चूंकि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों डॉ0 अनिल कुमार धीमान एवं डॉ0 सचिन पाठक के द्वारा दायर वादों पर मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा आदेश पारित कर सम्बन्धित वाद निस्तारित किये जा चुके हैं एवं मान्य उच्च न्यायालय द्वारा डॉ0 राकेश गिरी के वाद के सम्बन्ध में अंतरिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः मान्य उच्च न्यायालय के निर्णय/अंतरिम आदेश के आधार पर उक्त शिक्षक/कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन–निर्धारण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने कहा कि उक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के मान्य न्यायालय में दायर वाद के निस्तारण के उपरात् ही इन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है ।

- उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि कम्प्यूटर केन्द्र में सिस्टम मैनेजर का पद यू0जी0सी0 पत्रांक **D.O.N.-6-1-159/85 (UP-1) Dated Feb. 14, 1985** के अनुसार नॉन–वेकेशनल एकेडमिक माना गया है तथा उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट है कि कम्प्यूटर केन्द्र के नॉन–वेकेशनल एकेडमिक पदों का वेतन–निर्धारण पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा कैडर के पदों के अनुसार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने कहा कि वर्तमान में सिस्टम मैनेजर पद पर डॉ0 अचल कुमार गोयल कार्यरत हैं । इनके द्वारा अपने पद को नॉन–वेकेशनल एकेडमिक के अन्तर्गत किये जाने एवं वेतनमान दिये जाने हेतु दिनांक 09.03.2019 को दिये गये प्रार्थना–पत्र के आलोक में प्रो0 आर0डी0 कौशिक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा डॉ0 अचल कुमार गोयल, सिस्टम मैनेजर को यू0जी0सी0 पत्रांक **D.O.N.-6-1-159/85 (UP-1) Dated Feb. 14, 1985** के अनुसार नॉन–वेकेशनल एकेडमिक के अन्तर्गत रखते हुए इन्हें रीडर वेतनमान (वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष) दिये जाने की संस्तुति की है । इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि यदि यू0जी0सी0 पत्रांक **D.O.N.-6-1-159/85 (UP-1) Dated Feb. 14, 1985** के अनुसार कार्यवाही की गयी है तो इसका लाभ सम्बन्धित कर्मचारी को दिये जाने के उपरान्त् पूर्ण विवरण बनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाये । इनसे इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जाय कि यदि यूजीसी द्वारा कोई आपत्ति/आदेश/निर्देश प्राप्त होता है तो इन्हें उसका पालन करना होगा ।
- मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया है कि डॉ0 रामकुमार सिंह डागर के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के दिनांक 11.03.2019 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या–12 के अनुसार शारीरिक शिक्षा में यू0जी0सी0 के नियमों के अन्तर्गत पूर्ण विवरण बनाये जाने हेतु प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति को डॉ0 रामकुमार सिंह डागर प्रकरण सौंपे जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के संदर्भ में समिति के अध्यक्ष प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा संस्तुति की गयी है कि डॉ0 रामकुमार

सिंह डागर के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समितियों के द्वारा समीक्षा पूर्व में ही कई बार की जा चुकी है तथा इस प्रकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से कई बार पत्राचार किया जा चुका है। अतः श्रेष्यकर होगा की यह प्रकरण यूजीसी से हुए पत्राचार के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन/बी0ओ0एम0 /यू0जी0सी0 स्तर पर ही निस्तारित कर लिया जाये।

उक्त के आलोक में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचार–विर्मश किया गया है कि डॉ0 रामकुमार सिंह डागर के प्रकरण में यू0जी0सी0 से कई बार पत्राचार हो चुका है और यू0जी0सी0 द्वारा दिनांक 14.07.2018 को जारी पत्र संख्या 1–8/2009 **(PS)** के अनुसार इन्हे **CAS** के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रौन्नति के लिये अनुमोदित किया गया है। अतः इनको प्रोफेसर के पद पर प्रौन्नति के उपरान्त देय एरियर प्रदान कर इनके शिक्षक पद पर परिवर्तन से लेकर इनके प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति की सूचना तथा भविष्य में पद को शिक्षक के रूप में भरे जाने का सम्पूर्ण विवरण बनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित कर दिया जाये।

प्रस्ताव उपरोक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 11 विश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के हिन्दी में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पर पर डॉ0 अमृता के कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के अन्तर्गत हिन्दी विभाग में रिक्त असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति दिनांक 03.11.2017 की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 30.10.2018 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या–09 की स्वीकृति उपरान्त् डॉ0 अमृता पुत्री श्री बच्चन सिंह की हिन्दी विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के परीक्षण काल पर (जो कि एक वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है) एकेडमिक लेवल–10, रु.57700–182400 के अन्तर्गत मूलवेतन रु.57700/–एवं देय अन्य अनुमन्य भत्तों सहित इस कार्यालय के पत्र संख्या Estt./556 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति प्रदान की गयी थी ।

उक्त के सम्बन्ध में डॉ0 अमृता द्वारा दिनांक 10.11.2018 को कार्यभार ग्रहण करने के सन्दर्भ में प्रेषित किये गये प्रार्थना–पत्र, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) प्रयागराज में कार्यरत होने के कारण कार्यभार ग्रहण करने हेतु 06 माह का समय दिये जाने का अनुरोध किया था । उक्त के आलोक में मान्य कुलपति जी की स्वीकृति उपरान्त् इस कार्यालय के पत्र संख्या Estt./10838 दिनांक 01.12.2018 के द्वारा डॉ0 अमृता को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30.04.2019 तक (अधिकतम छः माह) का समय दिया जा चुका है ।

डॉ0 अमृता द्वारा पुनः दिनांक 18.05.2019 को कार्यभार ग्रहण करने के सन्दर्भ में प्रेषित किये गये प्रार्थना–पत्र दिया है । नियमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम छः माह का समय दिया जाता है । भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अध्याय 12 में यह भी अंकित है कि असाधारण परिस्थितियों और जनहित के आधारों को छोड़कर नियुक्ति का एक आदेश सामान्य रुप से बाद में पुर्नजीवित नही किया जाना चाहिए । ऐसे प्रस्तावों को पुर्नजीवित करने से पहले सभी मामलों में आयोग (UPSC) से परार्मश किया जाना चाहिए ।

उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का क्या तात्पर्य है । इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी ने कहा कि डा0 अमृता द्वारा कन्या गुरूकुल परिसर हरिद्वार में विगत सात–आठ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया गया है तथा इनकी शिक्षा गुरूकुल परिवेश में ही हुई है। इनके द्वारा गुरूकुल में अध्यापन कार्य करने हेतु प्राथमिकता दी गई है अतः इनको कन्या गुरूकुल परिसर देहरादून में

कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। चूंकि उपरोक्त नियमानुसार प्रस्तावों को पुर्नजीवित करने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु लोक संघ सेवा आयोग, नई दिल्ली से परामर्श लिया जाता है। अतः इस विषय पर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना है।
उक्त के सन्दर्भ में प्रो0 सन्तराम वैश्य ने कहा कि डा0 अमृता का पूर्व में अध्यापन कार्य अच्छा रहा है अतः उक्त के आलोक में इन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु छः माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डा0 अमृता को कन्या गुरूकुल परिसर देहरादून में कार्यभार ग्रहण करने हेतु छः माह (दिनांक 01.05.2019 से 31.10.2019 तक) का अतिरिक्त समय इस आशय से स्वीकृत किया जाता है यह इनका अन्तिम अवसर होगा। तत्पश्चात विश्वद्यिालय नियमानुसार कार्यवाही करें।

प्रस्ताव उपरोक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 12

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान/स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत स्टाफ कार चालकों को कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/54/96-Estt (D) दिनांकित 13 फरवरी 2002 के अनुसार प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु ।

अनुरक्षण अनुदान/स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत निम्न स्टाफ कार चालाकों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/54/96-Estt (D) दिनांकित 13 फरवरी 2002 के अनुसार स्टाफ कार चालक योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	Car Diver Grade	देय तिथि	देय वेतनमान
1.	श्री मांगेराम	कार चालक	Grade -II	18.12.2005	Rs.4000/-
			Grade -I	18.12.2011	PB-I 5200-20200+2800

स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	Car Diver Grade	देय तिथि	देय वेतनमान
1.	श्री राजमल राणा	कार चालक	Grade -II	30.09.2009	PB-I 5200-20200+2400
			Grade -I	30.09.2015	PB-I 5200-20200+2800

बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव उपरोक्तानुसार स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 13

विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर चयन हेतु Search-cum-Selection Committee के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर 03 नामों के पैनल का गठन किये जाने हेतु Search-cum-Selection Committee के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 को पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुसार प्रो0 रघुविन्दर तंवर, Directer, Hariyana Academy of History & Culture, Professor Emeritus, Kurukshetra University, Kurukshetra को प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रुप में नामित किया गया है। पैनल में अन्य 02 नामों के सम्बन्ध में सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को तथा डॉ0 सत्यपाल सिंह, माननीय कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को एक–एक सदस्य को नामित किये जाने हेतु दिनांक 04.03.2019 को पत्र प्रेषित किये गये थे ।

उक्त प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया है कि भारत सरकार के मानव संशाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 28.09.2019 को प्राप्त पत्र

के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर चयन हेतु **Search-cum-Selection Committee** में प्रो0 जे0एस0 संधु, कुलपति, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को केन्द्र सरकार के नॉमिनी के रूप में नामित किया है तथा मान्य कुलाधिपति द्वारा दिनांक 29.05.2019 को प्रेषित पत्र में उक्त **Search-cum-Selection Committee** में कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य के रूप में प्रो0 एच0डी0 देवराज, पूर्व उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को नामित किया गया है। चूंकि विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर चयन हेतु **Search-cum-Selection Committee** का अध्यक्ष सहित अन्य दो सदस्यों के नाम विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुके है। अतः कुलपति पद पर चयन की प्रक्रियां आरम्भ की जा सकती है।

उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया है कि कुलपति पद हेतु वर्तमान कुलसचिव प्रो0 दिनेश चन्द्र भट्ट द्वारा भी आवेदन किया गया है। अतः कुलपति पद पर चयन प्रक्रिया पूरी किये जाने हेतु प्रो0 पी0सी0 जोशी, जन्तु एवं पर्यावरण विभाग को **Ex-officio non-member Secretary** के रूप में नामित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव को सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में शोध निदेशक बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 के पूरक प्रस्ताव संख्या 03 (12) में विश्वविद्यालय में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में शोध निदेशक बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि "जिन पाठ्यक्रमों में पी0जी0 कक्षाऐं नही हैं, उनमें शोध कार्य आरम्भ करने हेतु प्रस्तावों पर विस्तृत विचार करने के लिये एक समिति बनाई जाये जो शोध की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उपाय सुझाये तथा प्रस्ताव पुनः प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

उक्त के आलोक में प्रो0 पी0सी0 जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 26.05.2019 को हुई बैठक में विश्वविद्यालय में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में शोध निदेशक बनाये जाने एवं शोध की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समिति द्वारा निम्न संस्तुति की है :–

1. जिन विषयों (जैसे कि कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग तथा अप्लाइड साइंस विभाग के भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणितं) में विश्वविद्यालय में परिसरों में स्नातकोत्तर एवं पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उनमें विभागीय शोध समिति (DRC) एवं शोध सलाहकार समिति (RAC) में सम्बन्धित स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को विषय विशेषज्ञ के रूप में रखा जाये ।
2. जिन विषयों (जैसे कि इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र) में विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्नातकोत्तर/ पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहे हैं वहां पर अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से RAC एवं DRC में विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाये, जिससे कि शोध की गुणवत्ता बनी रहे ।
3. इस विषय में यह भी सूच्य है कि यू0जी0सी0 के पी–एच0डी0 रेगुलेशन–2016 में पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होने की बाध्यता उल्लेखित नहीं है तथा उपरोक्त सभी विभागों (जहां पर स्नातक कक्षाएं संचालित हो रही है) से सम्बन्धित प्राध्यापक यू0जी0सी0 के नियमानुसार पी–एच0डी0 शोध निदेशक बनने के अर्ह है ।

बैठक में विश्वविद्यालय में स्नातक **(UG)** पाठ्यक्रमों में शोध निदेशक बनाये जाने के सम्बन्ध में गठित की गयी समिति द्वारा जो संस्तुति दी गयी है, उस पर विचार विमर्श

करते हुये मान्य कुलपति जी ने कहा की जिन स्नातक पाठ्यक्रमों में शोध कार्य नहीं है उन पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के नये रेगूलेशन के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति नहीं हो पायेगी तथा यू0जी0सी0 रेगूलेशन में शोध कार्य हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अनिवार्यता का कोई भी उललेख नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने भी अवगत कराया है कि कई विश्ववद्यिालयों/महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम न होने पर भी उन विषयों में शोध कार्य कराया जा रहा है। प्रो0 आर0सी0दूबे0 ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जा रहे विषय जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर विषय न होने पर भी उक्त विषयों में भी शोध कार्य (पी–एच0डी0) कराये जा रहे है। उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि गठित समिति के संस्तुतियों के आलोक में विश्वविद्यालय में जिन विषयों को स्नातक स्तर पर पढाया जा रहा है किन्तु उन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में विषय नहीं है–उन विषयों के स्थायी शिक्षकों को शोध कार्य (पी–एच0डी0) कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि शोध कार्य (पी–एच0डी0) हेतु विश्वविद्यालय को गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये। विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 02

विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा "योग एवं गीता" एवं षष्ठ मासिक प्रमाण–पत्र कोर्स "प्रतिस्पर्धा मूलक तर्कशास्त्र" आरम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 के प्रस्ताव संख्या 03 (09) के अनुसार विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि डिप्लोमा कोर्स "योग एवं गीता" पर सम्बन्धित विभाग द्वारा पहले Basic Note/Syllabus भेजना चाहिए । तत्पश्चात् ही डिप्लोमा कोर्स को आरम्भ करने पर गठित समिति विचार कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

उक्त के आलोक में प्रो0 आर0डी0 कौशिक की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी संस्तुति में लिखा है कि विभाग को उक्त डिप्लोमा कोर्स चलाने हेतु कोई भी वित्तीय सहायता, भवन एवं अतिरिक्त अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा देय नही होगा । दर्शन शास्त्र विभाग ने भी वर्तमान संसाधनों के अन्तर्गत ही पाठ्यकम चलाने की सहमति प्रदान की है ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग कई वर्ष पूर्व स्थापित किया गया है जिसमे योग एवं योग से सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप चलाये जा रहे है। अतः योग एवं गीता का दर्शन शास्त्र से कोई भी सीधा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। और यदि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही योग में डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुयट का डिप्लोमा प्रदान किया जा रहा है तो विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में योग विषय में डिप्लोमा कराने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्ताव पर प्रो0 ईश्वर भारद्वाज जी ने कहा कि विभाग को विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिये। इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि दर्शन विभाग को **"**धर्मशास्त्र**"** अथवा **"**तुलनात्मक धर्म दर्शन**"** पर एक वर्षीय डिप्लोमा कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए । अतः बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा **"**योग एवं गीता**"** को अस्वीकृत करते हुये केवल षष्ठ मासिक प्रमाण–पत्र कोर्स **"**प्रतिस्पर्धा मूलक तर्कशास्त्र**"** आरम्भ करने का निर्णय लिया, तथा एक वर्षीय डिप्लोमा हेतु ''तुलनात्मक धर्म दर्शन'' शीर्षक से डिप्लोमा आरम्भ करने का सुझाव दिया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 03 विश्वविद्यालय में आगमी वर्षों में छात्र संघ के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 को हुई बैठक के पूरक प्रस्ताव संख्या 05 में निर्णय लिया गया कि आगामी छात्र कल्याण परिषद के चुनाव तब तक न कराये जाये जब तक कि विश्वविद्यालय छात्र कल्याण परिषद के चुनाव के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम/उपनियम न बना लिये जाये ।

उक्त के सम्बन्ध में प्रो0 ईश्वर भारद्वाज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । समिति ने सर्वसम्मति द्वारा संस्तुति की है कि विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण परिषद चुनाव के समय एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों का अपहरण करना, चुनाव लड़ने वाले छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय से बाहर सभायें करना, छात्रों को जबरन कक्षाओं से बाहर निकालना तथा मान्य कुलपति जी एवं शिक्षकों के साथ कुछ माह पूर्व छात्रों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार एवं अभद्रता को देखते हुए कम से कम आगामी 03 वर्षों तक छात्र कल्याण परिषद के चुनाव न कराये जायें । विश्वविद्यालय में छात्रों/छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु परिसर स्तर पर कोर्डिनेटर तथा संकाय स्तर पर संकायाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय स्तर पर डीन–छात्र कल्याण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी ।
उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि समिति द्वारा जो संस्तुति की गयी है वह पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। और यदि भविष्य में चुनाव कराये जाने हैं तो छात्रकल्याण परिषद् के पदाधिकारियों का चुनाव शैक्षणिक आधार पर होना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रो0 आर0सी0 दूबे एवं प्रो0 ईश्वर भारद्वाज ने कहा कि जबसे विश्वविद्यालय छात्र कल्याण परिषद् को भंग किया गया है तब से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण शांतिपूर्ण है। कुलसचिव द्वारा सदन को बताया गया कि छात्र/छात्राओं के ग्रेवांस रिड्रेसल हेतु यू0जी0सी0 के नियमानुसार विभागीय, संकाय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर समितियां बनायी गयी हैं। अतः छात्र/छात्रायें अपनी समस्याओं हेतु सम्बन्धित समितियों से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते/सकती हैं। विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान छात्र कल्याण परिषद् भंग रहेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं होंगे।
मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान सेमेस्टर में जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप थी, उन्हें ही परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत किये गये। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परिक्षा में बैठने हेतु निर्धारित प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य है।

शांति पाठ् के पश्चात् सदन की बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव